# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल–registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट. https://snpv.ac.in


क्रमॉक 1332 /अका./वरि./2024 रायगढ़, दिनाँक 01/10/2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषयः– सत्र 2024–25 के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के संबंध में।

01. शिक्षकों की वरिष्ठता सूची सत्र–2024–25 का प्रकाशन होना है।
02. विश्वविद्यालय के परिनियम–19 की कंडिका–02 के प्रावधानानुसार आपके महाविद्यालय के कोई शिक्षक जिनका नाम सत्र–2023–24 की वरिष्ठता सूची में नहीं है और वे अपना नाम सत्र–2024–25 की वरिष्ठता सूची में समाहित कराना चाहते है तो ऐसे शिक्षकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में समस्त अभिलेखों के साथ, अभिप्रमाणित कर विश्वविद्यालय को 15–अक्टूबर–2024 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
03. निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त न होने, जानकारी अपूर्ण होने तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।
04. साथ ही ऐसे शिक्षक जो आपके विभाग/महाविद्यालय में स्थानांतरित/पदोन्नति/नियुक्ति होकर आये हों अथवा स्थानांतरित/सेवानिवृत्त/आकस्मिक निधन हो चुकें हों, तो ऐसे शिक्षकों की जानकारी लाल स्याही से रेखांकित करते हुए वर्ष–2023–24 में प्रकाशित वरिष्ठता सूची जो विश्वविद्यालय के वेब–साईट https://snpv.ac.in में अपलोड है के अनुसार सरल क्रमांक का अवश्य उल्लेख करना चाहें। जिससे ऐसे शिक्षकों का नाम वर्तमान स्थिति के अनुसार संशोधित/विलोपित किया जा सके।
05. समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य संलग्न प्रपत्र में जानकारी देते समय ध्यान रखें कि सभी जानकारी आवश्यक प्रपत्र में उन्हीं शिक्षकों के नाम अग्रेषित करें जिनकी नियुक्ति परिनियम–28 के प्रावधानानुसार नियमित शिक्षक के रूप में गठित समिति द्वारा की गई हों।
06. प्रमाण हेतु संबंधित को महाविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. संलग्न प्रपत्र में वांछित जानकारी के अभाव में वरिष्ठता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार प्रपत्र–02 प्रति में।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमॉक 1333 /अका./वरि./2024 रायगढ़, दिनाँक 01/10/2024

प्रतिलिपिः–

01. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, शासकीय ई.आर.आर. विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय, बिलासपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशन के लिये वांछित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समस्त प्राचार्यो को निर्देशित करते हुये शासन स्तर पर सत्र 2023–24 के लिये शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य सहित प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों की स्थानांतरण/पदोन्नति/पदस्थापना के संबंध में जारी आदेश की प्रति प्राप्त हो तो अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
03. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

प्रपत्र–एक

# Application for inclusion in the Seniority list of (Designation e.g. principal professor/Reader/Lecturer etc.)

To,

The Registrar,

......................................University,

.........................................................

Sir,

I request that my name be included in the seniority list of .................................... (Designation) Particulars of my service are as under.

1. Name - ..............................................................
2. Date of Birth - ..............................................................
3. Subject Teaching - ..............................................................
4. Post held at present on regular basis - .............................................................. (appointment made on the basis of the provision of statute 28 for non Govt. College)
5. Date from which present post held - ..............................................................
6. Scale of pay in the present post - ..............................................................
7. Academic qualifications - ..............................................................
8. Teaching experience on regular post with our - Year Month (Degree classes)
9. Teaching post held (chronologically) prior to appointment to the present post

| Designation of post | Name of Institution in which post was held | Mode of Appointment | Period from to | Scale Pay |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

N.B.

1. Only the names of those teacher shall be included in the seniority list who are appointed on regular post as per provisions of statute 28 fin case of Non-Govt. College.
2. A teacher in service under the Chhattisgarh Government not give the name of various colleges to which he was posted in any particular capacity.
3. Change in the cadre (e.g. Lecturers, Professor) together with the date of appointment in each case and the pay scale should be clearly stated.
4. Principal has to mention the date of Appointment with details of education

Place .................

Date ..................

Singnature of applicant
Full Name
Designation
College/Teaching Dept.

HOD/Principal
Signature & Seal

# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल– registrarsnpv@gmail.com , वेबसाईट- https://snpv.ac.in

प्रपत्र 2

विभाग / महाविद्यालय का नाम.............................................................................................................

| क. | शिक्षक का नाम | जन्म तिथि | पद नाम | वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि | नियुक्ति प्रकिया एवं चयन समिति गठन का आदेश एवं दिनाँक | शैक्षणिक योग्यता | अध्यापन विषय | नियमित पद पर अध्यापन अनुभव (केवल पूर्णकालिक / नियमित नियुक्ति ही दर्शाये) | | वर्ष 20......में प्रकाशित वरिष्ठता सूची का सरल कमांक | मोबाइल नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | स्नातक | स्नाकोत्तर | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

विभाग प्रमुख / प्राचार्य के हस्ताक्षर (सील सहित)

टीपः– 01. नियमित शिक्षकों के नियमितिकरण तिथि ही भेजे।

02. ऐसे शिक्षक जिनका स्थानान्तरण आपकी संस्था से अन्यत्र हो गया हो, तो ऐसे शिक्षक का स्थानांतरित संस्था का नाम एवं पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सुची में सरल कमांक अवश्य दर्शायी जावे।

03. अशासकीय महाविद्यालय की स्थिति में परिनियम–28 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति से चयनित शिक्षकों का नाम ही भेजा जावे। (प्रमाण संलग्न करें)

04. तदर्थ / संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशांसित न किया जावे।